शत्रु संपत्ति, नजूल की जमीनों पर लगेंगे उद्योग

निवेशकों के लिए जमीन संकट दूर करने की इन्वेस्ट यूपी की कवायद, शासन ने जिलों से मांगा ब्योरा

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। प्रदेश में निवेशकों को जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराने के लिए बड़ी पहल की जा रही है। निवेशकों को शत्रु संपत्ति और नजूल की जमीनें भी उद्योगों के लिए दी जाएंगी।

शासन ने सभी जिलों के डीएम और विकास प्राधिकरणों से ऐसी जमीनों का ब्योरा मांगा है जो औद्योगिक विकास प्राधिकरणों व यूपीसीडा को दी जा सके। इस पहल से कम से कम तीन लाख करोड़ रुपये तक का निवेश आने और दो से चार लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।

इन्वेस्ट यूपी ने अतिक्रमण, उपयोग न होने और विवादों के कारण बेकार पड़ीं नजूल और शत्रु संपत्तियों को निवेश व रोजगार सृजन के लिए उपयोगी बनाने की योजना तैयार की है। इन जमीनों का उपयोग औद्योगिक पार्क, लघु एवं मध्यम उद्योग, वेयरहाउसिंग और निर्यात उन्मुख इकाइयों की स्थापना के लिए किया जाएगा। इन जमीनों को नीलामी और दीर्घकालीन लीज पर उपलब्ध कराने की योजना है।

छह शहरों में उद्योग स्थापित करने की योजना

लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़ और गाजियाबाद में शत्रु संपत्ति व नजूल भूमि पर उद्योग स्थापित करने की योजना है। इसके लिए जमीन का सर्वे और उपयोगिता का आकलन किया जा रहा है।

प्रदेश में 5936 शत्रु संपत्तियां 20 हजार एकड़ नजूल भूमि

- राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 5936 शत्रु संपत्तियां दर्ज हैं जिनमें लगभग 12500 एकड़ भूमि शामिल है। वहीं, नजूल भूमि का दायरा 20000 एकड़ से ज्यादा है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी शहरी इलाकों और विकास प्राधिकरणों के अधीन आती है।
- शत्रु संपत्तियों का स्वामित्व केंद्र के पास है लेकिन इन्हें औद्योगिक उपयोग के लिए केस-टू-केस प्रक्रिया के तहत दिया जा सकता है। नजूल भूमि जो पहले नगर निकायों या प्राधिकरणों के पास थी उसे भी चिह्नित कर निवेशकों को उपलब्ध कराया जाएगा। >>

सेमीकंडक्टर में ताइवान का साथ : बाएं पढ़ें